

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 4(2) आ.प्र. एवं स.आ./पेयजल/2009-10/15359-40 जयपुर, दिनांक 29.6.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।


विषय:— अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों में संचालित आपातकालीन पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस विभाग के पत्रांक एफ.4(2) आ.प्र.एवं सआ/पेयजल/09/12206-12251 दिनांक 6.09.2009 द्वारा अकाल प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था करने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे।


वर्तमान परिस्थितियों का राज्य स्तर पर विश्लेषण किया गया। चूंकि मानसून के आने में विलम्ब हो रहा है। अतः अबाधित रूप से पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से उक्त विभागीय दिशा निर्देशों द्वारा संचालित आपातकालीन पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की अवधि 15 जुलाई, 2010 अथवा मानसून आने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अपने जिले में सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
11. प्रबन्ध संचालक, राज0 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज0, जयपुर/प्रबन्ध संचालक, राज0 क्रय-विक्रय संघ, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
14. अध्यक्ष, राज0 गौसेवा आयोग, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
16. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव